न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– दावा संख्या 06/2007

निर्णय दिनांक :– 20-9-2019

रामकुमार पुत्र स्वर्गीय सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी रतनगढ जिला चूरू

... वादी

बनाम

1. मनीराम } पुत्रगण स्व. रामविलास उर्फ बिलासा जाति कुम्हार प्रजापत निवासी
2. जयप्रकाश } रतनगढ जिला चूरू
3. श्रीमति सम्पति पत्नी नन्दलाल पुत्र नारायण जी प्रजापत निवासी सालासर चुंगीनाका के पास सुजानगढ
4. श्रीमति मंजू पत्नी बुध्दमल जाति कुम्हार प्रजापत निवासी लोढसर तहसील सुजानगढ
5. श्रीमति संतोष पत्नी बजंरगलाल जाति कुम्हार प्रजापत निवासी भरतियों की ढाणी रतनगढ जिला चूरू
6. श्रीमति चन्दा पत्नी गिरधारीलाल जाति कुम्हार नि. भरतियों की ढाणी रतनगढ
7. शोभराज पुत्र टीलूमल सिन्धी निवासी धानूका कुए के पास, रतनगढ
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रतनगढ़।

...प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री माणकचन्द जोशी अभिभाषक वादी
2. श्री बृजमोहन चारण अभि. प्रतिवादी प्रति. सं. 1 ता 6
3. श्री टेकचन्द कटारिया अभि. प्रतिवादी सं. 7
4. पैरोकार राज

दावा विभाजन,घोषणा एवं रेकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 व 188 आर.टी. एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कृषि भूमि के विभाजन एवं घोषणा एवं

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

रिकार्ड दुरूस्ती हेतु दिनांक 9.2.2007 को प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. दावा वादिनी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चक रतनगढ की रोही में पुराना ख.नं. 4 तादादी 128 बीघा 13 विश्वा जिसके वर्तमान ख.नं. 04 तादादी 16 बीघा 05 विश्वा, ख.नं. 23 तादादी 13 बीघा 11 विश्वा, ख.नं. 24 तादादी 06 बीघा 03 विश्वा, ख.नं. 40 तादादी 28 बीघा 09 विश्वा व ख.नं. 41 तादादी 07 बीघा 05 विश्वा कुल 71 बीघा 13 विश्वा के स्थित है। पुराने खसरे का पुख्ता नाप 76 बीघा 16 विश्वा है, जिसमें से 05 बीघा 3 विश्वा भूमि सड़क व रास्ता में चले जाने से 71 बीघा 13 विश्वा भूमि रही है। संवत 2008 में यह भूमि वादी रामकुमार व उसके भाई व प्रतिवादीगण 1 ता 6 के पिता रामविलास के अकिंत रही है, जिसमें उनका संयुक्त अविभाजित आधा आधा हिस्सा था।

3. प्रतिवादीगण 1 ता 6 के पिता रामविलास की मृत्यु के बाद उनकी चार पुत्रियों मंजू, संतोष, चन्दा व सम्पति का नाम भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिए था, जो नही किया गया जबकि वोह संयुक्त खातेदार हो चुकी थी। श्रीमती द्रोपदी की मृत्यू पर इन्तकाल सं. 153 प्रतिवादी सं. 8 के द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान 2001 में हिन्दु विधि के प्रावधानों के विपरीत मात्र प्रतिवादी सं. 1 ता 2 का नाम दर्ज कर दिया, इससे राजस्व रेकार्ड में गलत अकंन चला आ रहा है। इन्तकाल सं. 156 अभियान में विधि विरूद्व, गलत व वास्तविकता छिपाकर वादगत खसरा का विभाजन कर दिया। प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 को उनके हक व हिस्सा से वचिंत कर दिया। वादी को धोखे में रखकर विभाजन किया गया है, जो प्रारम्भ से ही शून्य व विधि विरूद्व है।

4. प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने विभाजन करने से पूर्व वादी को सही व वास्तविक स्थिति से अवगत नही करवाया ओर द्रोपदी की मृत्यू का इंतकाल दर्ज करवाने का आवेदन बताकर हस्ताक्षर करवाये गये थे। प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 को विभाजन में शामिल नही किया गया व उनको हक व हिस्सा से वंचित कर दिया गया। विभाजन में वादी के हिस्से में खेत ख.नं. 24,40, की 34 बीघा 12 विश्वा भूमि व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने हिस्से में 37 बीघा 01 विश्वा भूमि आनी दिखाई है। प्रतिवादीगण ने मुल्यवान सड़क के चिपती भूमि अपने नाम दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

करवाली जबकि भूमि का सही व वास्तविक समान विभाजन होना चाहिए था। वादी राजस्व रेकार्ड के गलत अंकन को दुरूस्त करवाकर सही व विधि अनुसार विभाजन व पक्षकारान का हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

5. वादी यह घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वादगत खेतों में वादी का 1/2 हिस्सा सयुंक्त व अविभाजित है। जिसका सीमांकन करवाकर कर वादी रेकार्ड दुरूस्ती का अधिकारी है। प्रतिवादीगण 1 ता 2 ने प्रतिवादी सं. 7 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 13 बीघा 11 विश्वा भूमि विक्रय करदी व 01 बीघा 05 विश्वा भूमि वादी को विक्रय करदी इस प्रकार 14 बीघा 16 विश्वा भूमि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 विक्रय कर चुके है। शेष भूमि को भी प्रतिवादीगण 1 व 2 अपने हिस्से की बताकर येन केन प्रकारेण अन्तरित करने पर आमादा है इसलिए वादी चिरनिषेधाज्ञा से उनको वर्जित करवाने का अधिकारी है।

6. वादी ने प्रतिवादीगण को रेकार्ड दुरूस्त करवाने व उसके हिस्से पातीं की भूमि देने का निवेदन किया तो वो दिनांक 31.1.2007 को स्पष्ट इन्कार हो गये, इस कारण वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादीगण 3 ता 6 का नाम राजस्व रेकार्ड में अकिंत नही है किन्तु वे कानूनी सह हिस्सेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। भू स्वामी होने से प्रतिवादी सं. 8 को विभाजन दावा में पक्षकार बनाया गया है।वादगत भूमि रतनगढ में स्थित होने से न्यायालय को क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

7. अतः घोषित किया जावे कि वादपत्र की मद सं. 1 में वर्णित खसरों की भूमि में वादी का संयुक्त अविभाजित आधा हिस्सा है। राजस्व रेकार्ड में विभाजन कार्यवाही बाबत अकंन गलत अवैध व मनमाना है। जिसको दुरूस्त करवाकर वादी विभाजन करवाने का अधिकारी है। राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त कर प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 का नाम दर्ज कर रेकार्ड दुरूस्त कर विभाजन की कार्यवाही की जावे। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि विधिवत नाप व सीमांकन से विभाजन होने तक किसी प्रकार से अन्तरित नही करें।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

8. प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 की ओर से दिनांक 24.8.2007 को व प्रतिवादी सं. 7 की ओर से दिनांक 4.10.2007 तथा पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 8 की ओर से दिनांक 24.12.2007 को जबाब दावा प्रस्तुत किया गया।

9. प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से जबाब दावा में अकिंत किया गया है कि सं. 2008 की जमाबन्दी के अनुसार पुराने ख.नं. 04 की भूमि रामकुमार व विलाशा के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी। स्व. रामविलास की पुत्रियों ने पैतृक भूमि में कोई हिस्सा नही लिया था ओर हमारे पक्ष में परित्याग कर दिया था। उनका नाम राजस्व रेकार्ड में अकिंत नही हुआ तथा ना ही वो अपना नाम दर्ज करवाना चाहती है। वादी को इस प्रकार की रिलिफ मांगने का कोई अधिकार नही है। दावा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। खाता विभाजन होने के बाद वादी ने हम प्रतिवादीगण से खेत ख.नं. 41 में से 1 बीघा 05 विश्वा भूमि खरीदी है, जिसमें आसापासा दर्ज है।वादी स्वंय को दिनांक 10.1.2002 से खाता विभाजन की जानकारी है लेकिन वादी ने पांच वर्षो तक कोई कार्यवाही नही की। वादी ने वादपत्र में जो खसरा नंम्बर अकिंत किये है, उन पर वादी का कब्जा नही है इसलिए वादी धारा 88 का दावा पेश करने का कानूनी अधिकारी नही है। विभाजन का दावा भी तभी पेश किया जा सकता है जब संयुक्त खातेदारी में भूमि दर्ज हो। वादी स्वंय ने खाता विभाजन करवाया तथा सहमति स्वरूप हमारे हस्ताक्षर करवाये थे। सभी खातेदारों की सहमति से विभाजन कर लगान अलग कायम किया गया है। वादी चिरनिषेधाज्ञा की डिकी पाने का अधिकारी नही है, सिर्फ खातेदार काश्तकार ही चिरनिषेधज्ञा प्राप्त कर सकता है। वादी ने विधिवत हुए खाता विभाजन को निरस्त करवाने हेतु दावा प्रस्तुत किया है जो सिर्फ सिविल कोर्ट में उचित कोर्ट फीस पर पेश किया जा सकता है। वादी हमारे खिलाफ कोई रिलिफ पाने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी सं. 3 ता 6 की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत कर अकिंत किया है कि प्रति. सं. 3 ता 6 की ओर से अपने भाईयों से कोई हिस्सा नही लिया है। राजस्व रेकार्ड में कोई विधि विरूद्व भूल नही हुई है। वादी को हमें हिस्सा लेने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी सं. 7 ने जबाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 से ख.नं. 23 की 13 बीघा 11 विश्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

करना व उसी अनुसार कब्जा काश्त होना अंकित किया गया है। खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है। वादी व प्रतिवादीगण को इससे कोई संबध व सरोकार नही है। पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 8 की ओर से अंकित किया गया है कि लधासर में आयोजित शिविर में दिनांक 9.1.2002 को वादगत भूमि का आपसी सहमति से विभाजन हुआ है। बाद में वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 से भूमि खरीदी है। प्रतिवादी सं. 7 को भी बाद में भूमि विक्रय की गई है। इसलिए दावा खारिज योग्य है।

10. दावें में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादगत भूमि खसरा नं 4 तादादी 16.05 बीघा, खसरा नं 23 तादादी 13.11 बीघा, खसरा नं 24 तादादी 6.03 बीघा, खसरा नं 40 तादादी 28.09 बीघा, खसरा नं 41 तादादी 7.05 बीघा वाके रोही चक रतनगढ़ में वादी का 1/2 हिस्सा संयुक्त व अविभाजित को नाप व सीमांकन से पृथक विभाजित करवाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है।
2. आया स्व. रामविलास व स्व. द्रोपदी की मृत्यु पश्चात उनके वारिसों का नाम का राजस्व अभिलेख में अंकन विधि सम्मत है।
3. आया ईन्तकाल सं. 156 के जरिये राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त कृषि भूमि के विभाजन का अंकन विधि सम्मत व बाध्यकार है।
4. आया वादग्रस्त कृषि भूमि का मौखिक विभाजन स्व. रामविलास के जीवनकाल मे हो जाने से ही सैटलमेंट में एक खेत अनेक खसरों में विभाजित हो गया।
5. आया प्रतिवादी सं 3 से 6 क अधिकारों के लिए वादी दावा दायर नहीं कर सकता और ना ही न्यायालय रिलीफ प्रदान कर सकता है।
6. आया प्रतिवादी सं 3 से 6 ने अपना हिस्सा त्याग दिया और अब भी अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है।
7. आया सक्षम अधिकारी द्वारा विभाजन होने के बाद यह दावा चलने योग्य नहीं है।
8. आया वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही है।

जिम्मे प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

9. अन्य दादरसी

11. वादी की ओर नकल जमाबन्दी सं. 2008 प्रदर्श–1,नकल जमाबन्दीसं. 2015 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दीसं. 2019 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सं. 2006 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सं. 2006 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी सं. 2010 प्रदर्श–6, विभाजन आदेश दिनांक 9.1.2002 प्रदर्श–7, नकल नामा. सं. 153 प्रदर्श–8, नकल नामा. सं. 156, नकल नामा. सं. 161 प्रदर्श–10, नकल एक्स प्रदर्श 11, नकल एक्स प्रदर्श–12, नकल एक्स प्रदर्श–13 प्रस्तुत की गई है। साक्ष्य वादी में स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

12. बहस विद्वान अभिभाषक वादिनी सुनी गई। पत्रावली एवं राजस्व रिकार्ड का भलीभांती अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

1. तनकी संख्या 7 व 8:– ये तनकीयात कानूनी है। प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा में श्रवणाधिकार एवं सक्षम अधिकारी द्वारा विभाजन करने के बाद दावा न चलने योग्य बताया गया। हस्तगत प्रकरण वादी द्वारा कृषि भूमि की घोषणा, रेकार्ड दुरूस्ती एवं विभाजन बाबत प्रस्तुत किया गया है। कृषि भूमि के सम्बन्ध में घोषणा, रेकार्ड दुरूस्ती एवं विभाजन के सम्बन्ध में वाद की सुनवाई का अधिकार न्यायालय को है। प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य अथवा न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे माना जा सके कि न्यायालय को हस्तगत प्रकरण का श्रवणाधिकार नही हो। न कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत हुआ है जिससे माना जा सके कि विभाजन होने के बाद दावा लाने की मनाही हो। इसलिए तनकी सं. 7 व 8 प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

2. तनकी संख्याः– 01– वादी की ओर से वादगत भूमि खसरा नं 4 तादादी 16.05 बीघा, खसरा नं 23 तादादी 13.11 बीघा, खसरा नं 24 तादादी 6.03 बीघा, खसरा नं 40 तादादी 28.09 बीघा, खसरा नं 41 तादादी 7.05 बीघा वाके रोही चक रतनगढ़ के बाबत वादी का कथन है कि संवत 2008 में यह भूमि वादी रामकुमार व उसके भाई व प्रतिवादीगण 1 ता 6 के पिता रामविलास के अकिंत रही है, जिसमें उनका संयुक्त अविभाजित आधा आधा

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

हिस्सा था। प्रतिवादीगण 1 ता 6 के पिता रामविलास की मृत्यु के बाद उनकी चार पुत्रियों मंजू, संतोष, चन्दा व सम्पति का नाम भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिए था, जो नही किया गया जबकि वोह संयुक्त खातेदार हो चुकी थी। श्रीमती द्रोपदी की मृत्यू पर इन्तकाल सं. 153 प्रतिवादी सं. 8 के द्वारा प्रशासन गावों के संग अभियान 2001 में हिन्दु विधि के प्रावधानों के विपरीत मात्र प्रतिवादी सं. 1 ता 2 का नाम दर्ज कर दिया, इससे राजस्व रेकार्ड में गलत अकंन चला आ रहा है। इन्तकाल सं. 156 अभियान में विधि विरूद्व, गलत व वास्तविकता छिपाकर वादगत खसरा का विभाजन कर दिया। प्रतिवादीगण सं. 4 ता 6 को उनके हक व हिस्सा से वचिंत कर दिया। वादी को धोखे में रखकर विभाजन किया गया है, जो प्रारम्भ से ही शून्य व विधि विरूद्व है।

राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से वादगत खसरों की भूमि वादी व रामविलास के नाम दर्ज रही है। प्रशासन गावों के संग अभियान 2001 के दौरान दिनांक 9.1.2002 को वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से वादगत भूमि का सहमति से विभाजन करवाया गया है। राजस्व शिविर ग्राम लधासर में वादी ने सहमति से विभाजन के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये गये है तथा तहसीलदार द्वारा आपसी रजामंदी के अनुसार विधिवत रूप से वादगत भूमि का विभाजन किया गया है। जिसका नामान्तरणकरण सं. 156 दिनांक 10.1.02 को अकिंत हो गया। वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त विभाजन के अनुसार वर्तमान में चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण वर्तमान में संयुक्त खातेदार नही है तथा अलग अलग खातेदार अकिंत है। वादी ने विभाजन होने के करीब 05 वर्ष बाद यह दावा प्रस्तुत किया है जबकि उसको विभाजन की जानकारी रही है। सहमति से उसने विभाजन करवाया है तब यह नही माना जा सकता कि उसको वास्तविक स्थिति की जानकारी नही रही है। वादी ने प्रतिवादीगण से विभाजन होने के बाद दिनांक 27.2.2002 को 1 बीघा 05 विश्वा भूमि क्रय की है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 161 दर्ज होकर खातेदारी वादी के नाम दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार वादी का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि उसे आपसी सहमति से विभाजन की जानकारी नहीं रही हो। वादी ने भूमि क्रय करते समय

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण के खातेदारी रेकार्ड को देखकर ही भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। वादी ने आपसी सहमति से विभाजन होने के बाद पुनः विभाजन करवाने की मांग की है जबकि वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार नहीं रहे हैं। कानूनन विभाजन की रिलीफ संयुक्त खातेदारान के मध्य ही दी जा सकती है। वादी ने आपसी सहमति से विभाजन के बाद 1 बीघा 05 विश्वा भूमि प्रतिवादीगण सं 1 व 2 से क्रय की है। प्रतिवादीगण सं 1 व 2 के द्वारा प्रतिवादी सं 7 को भी विभाजन के बाद 13 बीघा 11 बिश्वा भूमि विक्रय कर दी है। इस प्रकार वर्तमान में विभाजन से पूर्व की स्थिति कायम किया जाना कानूनी रूप से कतई संभव नहीं है। पैरोकार राज द्वारा भी सहमति से वादी द्वार शिविर में विभाजन करवाया जाना बताया है। इस प्रकार वादी वादगत भूमि को विभाजित करवाने व राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी नहीं है इसलिए उपरोक्त विवेचन क आधार पर यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3. तनकी संख्या 3:– इंतकाल संख्या 156 आपसी सहमति से विभाजन के पश्चात दर्ज हुआ है तथा उसी के अनुसार पक्षकारान की खातेदारी अंकित हुई है। विस्तृत विवेचन तनकी संख्या 1 के निर्णय में किया जा चुका है तथा तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है। इस प्रकार इंतकाल विधिवत दर्ज हुआ है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

4. तनकी संख्या 2, 4, 5 व 6:– तनकी संख्या 1 में किये गये विस्तृत विवेचन के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 09.01.2002 को विभाजन होकर खाता एवं लगान अलग–अलग कायम हो चुके हैं। तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है और वादी को वादगत भूमि का विभाजन एवं रिकार्ड दुरूस्ती का अधिकारी नहीं पाया गया है। यदि स्व. रामविलास व द्रोपती की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान में प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 को यदि वंचित किया गया है तो उनके द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वाद लाया जाता जबकि प्रतिवादी सं. 3 ता 6 ने अपने जवाब दावा दिनांक 24.08.2007 में वादगत

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं होना अंकित किया है। अतः ये तनकियात बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

5. अनुतोष –वादी वादगत भूमि को विभाजित करवाने व राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी नही है। इसलिए दावा खारिज योग्य है।

आदेश

वादी का दावा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनिययम 1955 बाबत घोषणा, रेकार्ड दुरूस्ती एवं विभाजन खेत खसरा नं 4 तादादी 16.05 बीघा, खसरा नं 23 तादादी 13.11 बीघा, खसरा नं 24 तादादी 6.03 बीघा, खसरा नं 40 तादादी 28.09 बीघा, खसरा नं 41 तादादी 7.05 बीघा वाके रोही चक रतनगढ़ खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 20-9-2019 को बसरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner